


- नोट-1 छत्तीसगढ़ भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का नियम 2008 के नियम 251 (दो) में वर्णित एक सदस्य जिसका नाम निर्देशन केन्द्रीय द्वारा किया जाना है, का नाम केन्द्र सरकार से प्राप्त होने पर सम्मिलित किया जावेगा।
2. समिति के सदस्यों का कार्यकाल छत्तीसगढ़ भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 252 अनुसार रहेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार


(के.के. कुंजाम)
उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग

राजपत्र क्र. 10/1/2008/18

रायपुर दिनांक 13-02-2012

प्रतीलाप:-

1. प्रमुख सचिव / सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, रायपुर
 2. प्रमुख सचिव / सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर
 3. प्रमुख सचिव / सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
 4. प्रमुख सचिव / सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर
 5. प्रमुख सचिव / सचिव, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर
 6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर
 7. मुख्य सचिव के अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, रायपुर
 8. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर
 9. क्षेत्रीय भविष्यनिधि आयुक्त, रायपुर (छ.ग.)
 10. मुख्य निरीक्षक (श्रमायुक्त), रायपुर (छ.ग.)
 11. भवन कामगार के समस्त प्रतिनिधि श्री.....
 12. नियोजकों समस्त प्रतिनिधि श्री
 13. अध्यक्ष राज्य औद्योगिक न्यायालय, रायपुर (छ.ग.)
 14. अध्यक्ष श्रम कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.)
 15. श्रमायुक्त श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)
 16. कल्याण आयुक्त, श्रम कल्याण मंडल, रायपुर (छ.ग.)
 17. संचालक जनसंपर्क रायपुर (छ.ग.)
 18. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव छ.ग की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेषित। कृपया राजपत्र की 50 प्रतियां विभाग का उपलब्ध कराने का कष्ट करे।
- का आर सूचनाथ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग